राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–6194/2021

प्रमोद शंकर —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये मुख्य सचिव, सचिवालय, जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक, आयुर्वेद निदेशालय, अशोक मार्ग, अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 12.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री डी.डी. खण्डेलवाल, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में वर्ष 2003 में हुई थी। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को पी.एल. व ग्रेचुटी की राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था, परंतु अपीलार्थी को उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया था। अपीलार्थी की ओर से अपील के लम्बित रहने के दौरान अपील में संशोधन कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलार्थी ने उसे पेंशन दिये जाने की प्रार्थना भी जोड़े जाने की प्रार्थना की है। उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। न्यायहित में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः अपीलार्थी द्वारा जो प्रार्थना अपील में की गई है, वह संशोधन के पश्चात निम्न प्रकार से हैं :–

> "It is, therefore, humbly and respectfully prayed that your lordships may graciously be pleased to accept and allow this appeal and by an appropriate order or direction:-
>
> i) Respondents be direct to release the regular pension as regular employee from 18.11.2003 and PL and Gratuity with interest 18% per annum from date of superannuation 30.06.2020.

ii) Any other order or direction which your lordships may deem just and proper in the facts and circumstances of the case to be also passed in favour of appellant and in the interest of justice."

2. इस प्रकार अपीलार्थी ने अपील में पेंशन, लिव एनकेसमेंट एवं ग्रेचुटी का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप– 4) विभाग, जयपुर द्वारा आयुर्वेद सेवा नियम 1973 के अन्तर्गत विज्ञप्ति कमाए 10(22)आगु/92 दिनांक 15/09/1992 के द्वारा आयुर्वेद चिकित्सकों के 59 पदों पर पूर्णतया अस्थाई नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये। उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर उक्त विज्ञप्ति के अन्तर्गत 66+11+14=91 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया जाना पाया गया। इसके पश्चात डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 107/2001 प्रमोद शंकर मिश्रा बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 29/05/2002 की पालना मे राज्यादेश क्रमांक प.05(23)आयु/2001 दिनांक 12/11/2003 के द्वारा 27 अपीलार्थीगणों को नियुक्ति प्रदान की गई है। अपीलार्थी की नियुक्ति विज्ञापन दिनांक 15/09/1992 के तहत हुई थी। विज्ञापन दिनांक 15/09/1902 के तहत हुई नियुक्ति में 27 चिकित्सको को स्क्रीन/नियमित नहीं किया गया है जिसमें अपीलार्थी भी सम्मिलित है, साथ ही उन 27 चिकित्सकों में से श्री सुभाष चन्द्र शर्मा द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या–10039/2009 सुभाष चन्द शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य दायर कर रखी है, जिसमे अपीलार्थी भी पक्षकार के रूप मे सम्मिलित है। अपीलार्थी की नियुक्ति विज्ञापन दिनांक 15/09/1992 के तहत हुई थी। विज्ञापन दिनांक 15/09/1992 के तहत हुई नियुक्ति में 27 चिकित्सकों को स्क्रीन/नियमित नहीं किया गया है, जिसमें अपीलार्थी भी सम्मिलित है। माननीय न्यायालय के समक्ष एस बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10039/2009 सुभाष चन्द्र शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य दायर कर रखी है, जिसमे अपीलार्थी भी पक्षकार के रूप में सम्मिलित है। वर्तमान में माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालया द्वारा दिनांक 17/09/2009 को आदेश पारित कर अग्रिम आदेश तक सेवाएं समाप्त नहीं करने के आदेश दिए गए। माननीय राजस्थान न्यायालय द्वारा विभाग की और से दायर किया गया 228(3) का प्रार्थना पत्र दिनांक 26/03/2011 को निस्तारित करते हुए अंतरिम आदेश दिनांक 17/09/2009 को निरन्तर किया गया। अपीलार्थी का न्यायिक प्रकरण माननीय न्यायालय में विचारधीन है।

4. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। उपरोक्त अपील में अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी वर्ष 2003 में सेवा में आया था और अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2020 को हुई थी। ऐसे में अपीलार्थी ने लंबे समय तक सेवाएं प्रदान की हैं। अपीलार्थी द्वारा दी गई सेवा को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को पेंशन, लिव एनकेसमेंट एवं ग्रेचुटी का लाभ दिया जाना चाहिए था, जो प्रत्यर्थी विभाग ने प्रदान नहीं किया है। प्रत्यर्थी विभाग का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी की सेवाएं नियमित नहीं थी। अपीलार्थी एवं उसके समान अन्य व्यक्तियों द्वारा अपनी सेवाओं को नियमित कराने के लिये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या–10039/2009 सुभाष चन्द्र शर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य प्रस्तुत की थी। दौराने बहस हमारे समक्ष यह प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत उक्त रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2024 को निर्णित की जा चुकी है। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से निर्णय पारित किया है :–

> "18. The petitioners who have been appointed in 2003 cannot claim parity with those who have been appointed in pursuance of the advertisement dated 15.09.1992 as those who were appointed in pursuance of the notification were appointed in order of their seniority whereas, the petitioners have been appointed in pursuance of the directions of the Court ignoring the seniority of other persons who have applied for adhoc appointment in the year 1992.
>
> 19. Respondent having taken recourse to regular selection was competent to terminate the services of the present petitioners but the petitioners have continued in service in pursuance of the interim order obtained from the Court and thus their case cannot be considered to be at par with those who were appointed on adhoc basis in pursuance of the advertisement dated 15.09.1992. The argument of learned Additional Advocate General that year 1993 was consciously fixed in the notification as regular selection had taken place, has force since appointment under Rule 27 are made only on adhoc basis and once, regular selection has been made, those incumbents do not have any right as such. The notification therefore fixing the cut off date has a basis and cannot be said to be arbitrary.
>
> 20. Hence, we do not find any error in the impugned notification dated 18.08.2006. The present writ petitions are devoid of any merit and the same are accordingly dismissed.
>
> 21. All pending applications also stand dismissed."

5. अतः स्पष्ट है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत रिट याचिका खारिज की है, परन्तु यह तथ्य भी

हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है कि अपीलार्थी ने वर्ष 2003 से अपनी सेवानिवृत्ति की दिनांक 30.06.2020 तक अपनी सेवाएं प्रत्यर्थी विभाग में दी है।

6. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण में हम प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश देना उचित पाते है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या–10039/2009 सुभाष चन्द्र शर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 09.02.2024 की रोशनी में एवं अपीलार्थी द्वारा दी गयी सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार उसे सेवानिवृत्ति लाभ देय होने के सम्बन्ध में विचार कर उचित निर्णय पारित करे। इस आदेश की पालना तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)